भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 503

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

घरेलू कामगार

503. श्री राजन बाबूराव विचारे:
श्री पल्लव लोचन दास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों के हितों की रक्षा के लिए नीतियां बनाने के लिए घरेलू कामगारों का एक सर्वेक्षण कराया है जिसमें देश भर के 5.5 लाख परिवारों के आंकड़ों को शामिल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र से महानगरों और कस्बों में अवैध रूप से लाए गए घरेलू कामगारों के शोषण के संबंध में शिकायतों की बढ़ती संख्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों की मजदूरी में अनियमितताओं और उनके शोषण को कम करने के लिए कोई अधिनियम/उपबंध तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार घरेलू कामगारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निजी नियोजन एजेंसियों को विनियमित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय ने बहुस्तरीय प्रतिदर्श डिजाइन के आधार पर महाराष्ट्र सहित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के चुनिंदा घरों से जानकारी एकत्र कर घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है।

जारी/2--

घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ): नव अधिनियमित श्रम संहिताऐं, अर्थात मजदूरी संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू कामगारों सहित सभी श्रेणी के कामगारों को मर्यादित कार्यदशाएं, मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं। घरेलू कामगारों के शोषण पर अंकुश लगाने और मजदूरी को नियमित करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पींड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता, 1860 जैसे विभिन्न कानून विद्यमान हैं।

(ड़): राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण सहित कार्यकरण को विनियमित करने की सलाह दी गई है। ऐसी एजेंसियों की शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आईपीसी या अन्य प्रचलित अधिनियमों के उपबंधों के तहत निपटाया जाता है, जिसके अधीन ऐसे प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। निजी प्लेसमेंट एजेंसियों से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर समितियां गठित की जाती है और मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कामगारों के हितों की रक्षा के लिए निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए परामर्श जारी किए हैं।

*****